संख्या- 81 /2020/1731ई-2/तेरह-2020-74/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

विषय: मेसर्स यदु शुगर लि., सुजानपुर बिसौली, जनपद बदायूं में आसवनी स्थापना हेतु पी.डी.-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-21/दो-प्रा.डी.-144/यदु शुगर, दिनांक 30.07.2020 एवं पत्र संख्या-जी-112/दो-प्रा.डी.-144, दिनांक 03.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स यदु शुगर लि. सुजानपुर, बिसौली जनपद बदायू को 120 किलो लीटर प्रतिदिन 330 दिवस के आधार पर अर्थात् 396 लाख लीटर वार्षिक क्षमता के प्लान्ट स्थापना की अनुमति हेतु पी.डी.-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने तथा आसवनी की स्थापना के पश्चात् बाजार की मांग के अनुसार शोधित आसव,डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा सी.पी.सी.बी./यू.पी.सी.बी. के मानकों के अनुसार इकाई में शून्य उत्प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (कन्सेंट्रेशन एवं इंसीनरेशन) की स्थापना की जाएगी एवं अपनी दैनिक/वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत आर.एस. या अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा तथा आसवनी स्थापना के संबंध में नियमानुसार वांछित समस्त शर्तों, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित/विद्यमान समस्त विधियों/संगत शासनादेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in